THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) Loans under the IRDP are given by the Credit Institutions, Government of India and the State Government together provide subsidy under the programme. A proposal to replace the present subsidy by an interest free loan was considered. For various reasons, it has been decided to continue the present practice.

(b) All possible efforts are made through the State Governments to prevent mis-utilisation of subsidy.

गेहूं, चावल और चीनी के भण्डार की स्थिति

1161. डा० रत्नाकर पाण्डेय : : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में घरेलू खपत के लिए गेहूं, चावल और चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो गत 6-7 महीनों में बाजार में इनके मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष के दौरान समर्थन मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करने और निर्गम मूल्यों में बढ़ोतरी करने के कारण 21-7-90 को समाप्त हुए पिछले छः महीनों के दौरान चावल और गेहूं के थोक मूल्यों के सूचकांक में केवल क्रमशः 82 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी के सूचकांक में मामूली गिरावट (-0.1 प्रतिशत) आई है।

15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन अल्पसंख्यकों का कल्याण

1162. डा० अबरार अहमद खान : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु लागू किये जा रहे 15-सूत्रीय कार्यक्रम से अब तक अल्पसंख्यक लोगों का कितना कल्याण हुआ है तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है और दरअसल में यह कार्यक्रम किन-किन राज्यों में लागू किया गया था इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम को सक्रिय एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उन अधिकारियों को दंडित किया गया है जिन्होंने इस कार्यक्रम की उपेक्षा की है और क्या इस प्रकार का दंड दिये जाने का कोई प्रावधान है; और

(ग) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए गत 8 महीनों के दौरान राज्य और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की गई ; उन बैठकों की तिथियां क्या-क्या हैं और उनके क्या निष्कर्ष निकले ; इस संबंध में सवाई माधोपुर जिले के बारे में ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) उन लाभों का परिमाण न कठिन है, जो 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इससे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में निश्चित रूप से जागरूकता पैदा हुई तथा फिर ठोस कार्यक्रम बने हैं।

तथापि 1-1-89 से 31-3-90 तक की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक

विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 155, अनुबंध सं० 40]

वर्तमान सरकार ने कार्यान्वयन के लिए ठोस समयबद्ध कार्यवाई कार्यक्रम अभिज्ञात किए हैं । इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

1. दिल्ली, भागलपुर और मेरठ में साम्प्रदायिक अपराधों के मुकदमें चलाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

2. साम्प्रदायिक दंगों के मामले में मृत्यु/स्थाई विकलांगता के लिए राहत की 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० करना ।

3. दंगों के शिकार व्यक्तियों की विधवाओं के लिए 500/- रु० प्रतिमास की पेंशन का भुगतान ।

4. साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रकाश डालने वाले फीचरों का दूरदर्शन और आकाशवाणी से विशेष प्रचार करना ।

5. मिश्रित बटालियनों का गठन ।

6. साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस कार्मिकों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यालयों का आयोजन ।

7. चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मानीटर करना ।

8. सभी 41 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में समुदाय पोलीटेकनिकों का विस्तार और अल्पसंख्यक कामगारों के लिए सुसगत व्यवसाय जोड़कर आई०टी०आइयों का पुर्नस्थापन ।

9. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्वयंसी संगठनों के माध्यम से विशेष परीक्षापूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण योजनाएं ।

10. सुसंगत हस्तशिल्पों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों/जिलों में विकास परियोजनाएं ।

11. भागलपुर और मेरठ के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के बुनकरों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं ।

12. मुर्शिदाबाद, मालदा कूचीन और कन्नानूर में गहन हथकरघा परियोजनाएं ।

13. अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में समेकित ग्रामीण विकास परियोजना और ट्राईसेम योजनाओं का बेहतर उपयोग और अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधाएं ।

(ख) अल्पसंख्यक कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मासिक आधार पर समीक्षा करने के लिए एक मंत्रिमंडल समिति है। राज्य सरकारों से मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव के स्तरों पर तिमाही समीक्षा बैठकों और जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन अपेक्षित है । अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन और दंड की पद्धति वही है जो किसी अन्य विकास कार्यक्रम के संबंध में उन पर लागू है ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Drinking water Projects in Nalgonda and Anantapur Districts in Andhra Pradesh

1163. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received the project reports of providing drinking water to the villages in Nalgonda and Anantapur districts of Andhra Pradesh; and

(b) if so, by when administrative approval would be given?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) Yes, Sir.